

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

लखनऊ: दिनांक 13 जुलाई, 2022

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

विषय:- "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार के रोकथाम पर संयुक्त कार्ययोजना का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2022 को अपरान्ह 03:00 बजे बाल आयोग में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अध्यक्ष उ०प्र० राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ द्वारा "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" बच्चों द्वारा नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के दुरुपयोग और इसके अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु प्रदेश रिथत उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्नलिखित कार्यवाही कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये:-

1. सभी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि के अन्दर तम्बाकू, पान बीड़ी, शराब आदि की दुकाने न हो (कोटपा) अधिनियम 2003 की धारा-4(ख)।
2. उच्च शिक्षण संस्थानों के गेट पर इस हेतु साइन बोर्ड लगाया जाये जिसमें Quiltline Toll Free No-1800-11-2356 भी अंकित हो।
3. उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रहरी क्लब की स्थापना की जाये, जिसमें 20 से 25 छात्र होंगे।
4. यह प्रहरी समूह उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा विरुद्ध जागरूकता अभियान चलायेंगे तथा अन्य छात्रों की निगरानी भी करेंगे।
5. किशोर न्याय अधिनियम की धारा-77 व 78 के अन्तर्गत पाये गये मामलों में विश्वविद्यालय के कुल सचिव तथा महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-1897 (1)/सत्तर-3-2022, तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ।
 - 2- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
 - 3- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध